न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 224/2020
आरसीएमएस नं. 2020/00224

1. औमप्रकाश पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमागनढ।
2. मनीराम पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. राजू पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र श्री टीकमचंद जाति जाट निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री टीकमचंद जाति जाट निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. टीकमचन्द पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 15.06.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ।
प्रकरण संख्या 102/2021 बअनवान औमप्रकाश आदि बनाम नरेश कुमार आदि

श्री रामकुमार खटोड अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 3
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक –

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 आरटीएक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि कि उनके नाम चक 41 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 74/311 में कुल 1.771 है0 भूमि है जिमसें आवागमन हेतु कोइ स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की चक 41 एसएसडबल्यू के प. नं. 73/311 मु. नं. 20 किला नं. 8, 13, 18 में प्रवेश के लिए प. नं. 76/311 के किला नं. 1, 2, 3 की उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर से स्वीकृत है जिससे होते हुए प्रार्थी के उक्त रकबा में आवागमन के लिए सुलभ है इसके अलावा प्रार्थी के रकबा के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। अपीलाण्ट ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु उपरौक्त रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र खारिज किया किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है तथा धारा 251 –क आरटीएक्ट के अनुसरण में अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था। परन्तु विचारण न्यायालय ने मौखिक रूप से व फर्द अहकाम में प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया परन्तु विस्तृत निर्णय लिखाते समय बिना किसी आधार के प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। मौका पर किला नं. 9 व 10 में कोई रास्ता चालू नहीं है तथा रिपोर्ट दिनांक 08.04.2022 में भी मौका पर किला नम्बर 9 व 10 में रास्ता चालू नहीं होने बाबत रिपोर्ट आई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय ने इस तथ्य की और कोई गौर नहीं किया। आदेश में प. नं. 76/311 मुरब्बा नं. 20 किला नं. 3 में रास्ता चालू नहीं होने के आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है जबकि कानूनन धारा 251–क आटीएक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मौके पर चालू रास्ता ही स्वीकृत किया जा सकता है। रास्ता स्वीकृत करने के रास्ते अत्यन्त आवश्यकता, द्वितीय बिन्दू मन्जूरशुदा रास्ते के अभाव में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दोनों ही बिन्दूओं को पुरा करता है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है। अपीलांट के पास अपनी आराजी में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा रास्ते का अभाव बताया है एवं सुविधाजनक रास्ता था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की और ध्यान नही दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक नं. 41 एसएसडल्यू के प. नं. 76/311 (20) के किला नं. 3 में कभी भी रास्ता चालू नही रहा है तथा 41 एसएसडब्लयू खाता की 2.277 है0 ाूमि सांझे खतो में भूराराम, भैराराम पि0 खिंया 2/3 हिस्सा कन्हींराम पि0 मु0 हीरा 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें आवागमन हेतु प0 नं0 76/311 (20) किला नं. 10 में से हमेशा से आवागमन था तथा खाता विभाजन होने पर प्रार्थीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि किला नं. 8 में आने जाने हेतु किला नं. 9 व 10 की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व चलकर किला नं. 8 में पहुंचते हैं जो हमेशा से आज तक रास्ता चालू है तथा प्रार्थीगण के लिए सुलभ एवं सुविधाजनक है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलांट ने चक नं. 41 एसएसउबल्यू के प. नं. 76/311 (20) के किला नं. 3 में रास्ता चालू होने का कथन प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने प. नं. 76/311 मु0 नं0 20 के किला नं. 9 व 10 में रास्ता चालू होने का कथन किया जो पुरानी कदिमी रास्ता बताया गया है। जमाबंदी चक नं. 41 एसएसडबल्यू खाता संख्या 72/66 संवत 2057 में प्रार्थीगण के दादा भूराराम के नाम से सांझे खाते में किला नं. 9 व 8 दर्ज होना साबित है। पटवारी हल्का बहलोलनगर व भू0 अ0 निरीक्षक वृत कमाना द्वारा दिनांक 08.09.2021 को मौका रिपोर्ट में किला नं. 3 में रास्ता चालू होना नहीं दर्शाया गया है। पुनः मंगवाई गई रिपोर्ट में भी किला नं. 3 में रास्ता चालू होना नहीं बताया गया बल्कि किला नं. 9 व 10 में कुछ जगह रास्ते के रूप में प्रतीत होना तथा जलाउ लकड़ी व गोबर की खाद डालकर रास्ता अवरूद्ध करना बताया गया है एवं समस्त काश्तकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किला नं. 9 व 10 की उतरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की तरफ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई है। आरटीएक्ट की धारा 251–क के अन्तर्गत रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दूओं को देखा जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प. नं. 76/311 (20) के किला नं. 9 व 10 में से अपीलाण्ट का वैकल्पिक रास्ता के रूप में सांझे खाते के समय से आवागमन होने के तथ्य सामने आये हैं। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 15.06.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/22

(करतारसिंह पूनीयाँ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)